न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :— अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः— 159/2024

नीतु कुमारी पुत्री श्री जगदीश जाति जाट निवासी ग्राम बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—— प्रार्थिया

—:बनामः—

1. पवन कुमार पुत्र श्री जगदीश जाति स्वामी निवासी चक 19 एस.पी.डी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. संजय कुमार पुत्र श्री जगदीश जाति स्वामी निवासी चक 19 एस.पी.डी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री संजय चाण्डक — प्रार्थिया
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा — अप्रार्थी संख्या 3

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 30/10/2024

प्रार्थना पत्र प्रार्थिया अप्रार्थीगण के विरूद्ध अर्न्तगत धारा 251—क के तहत अधिवक्ता श्री संजय चाण्डक द्वारा प्रस्तुत किया गया है प्रार्थिया का प्रार्थना—पत्र निम्नानुसार है— कि प्रार्थिया का रजिस्टर्ड पता प्रार्थना—पत्र के मुख पृष्ठ पर जो दर्ज है।

प्रार्थिया के नाम से वर्तमान में ग्राम बड़ोपल बारानी के संयुक्त खाता संख्या 346/25 के खसरा नं. 1383 में 3.321 है० बारानी खातेदारी कृषि भूमि तथा इसी ग्राम में एक अन्य संयुक्त खाता संख्या— 186/ 131 के खसरा नं. 1351, 1353, 2649/1170 में 0.013 हैक्ट. बारानी खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अपने कथन की पुष्टि में प्रमाणित नकल जमाबन्दी प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न है।

यह कि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम से भी ग्राम बड़ोपल बारानी के सयुंक्त खाता संख्या 64/26 के खसरा नं. 2644/1392 में 4.048 हैक्ट. बारानी खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अपने कथन की प्रमाणित नकल जमाबन्दी ग्राम बड़ोपल बारानी खाता संख्या 64/ 26 सम्वत 2070—2073 संलग्न प्रार्थना—पत्र है।

यह कि वर्तमान में प्रार्थिया एंव अप्रार्थीगण अपनी—अपनी उक्त कृषि भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.11.11 15:13:08 IST
Reason: Self Attested

यह कि प्रार्थिया को अपने धारण के खसरा नं. 1383 में 3.321 हैक्ट. रकबे पर काश्त के लिए सिंचाई के प्रयोजन हेतु पाइप लाइन की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थिया के परिवार के जीवन—यापन का एकमात्र साधन यही कृषि भूमि है।

यह कि प्रार्थिया के धारण में चले आ रहे खसरा नं. 1353 की कृषि भूमि पर ट्युबैल लगा हुआ है। इसी कृषि भूमि के समीपवर्ती ही मजुंरशुदा मार्ग भी है जो मोके पर खसरा नं. 1354, 1276, 1222 से होते हुए प्रार्थिया के धारित खसरा नं. 1383 के समीप से गुजरता है। उक्त मंजुरशुदा मार्ग मोके पर चालु भी है।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि प्रार्थिया को अपने धारित खसरा नं. 1383 की कृषि भूमि पर सिंचाई हेतु उपरोक्त मंजुरशुदा मार्ग मंजुरशुदा मार्ग से पाइप लाइन की आवश्यकता है। तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या– 1 व 2 के धारित खसरा नं. 2644/1392 में स्थित कृषि भूमि से होते हुए अपने उक्त धारित रकबे तक पाइप लाइन होने से प्रार्थिया अपनी धारित खसरा नं. 1383 की कृषि भूमि को आसानी से काश्त योग्य बना सकेगी। इसके अतिरिक्त प्रार्थिया के पास अपनी खातेदारी कृषि भूमि को सिचिंत करने का अन्य कोई मार्ग नहीं है।

यह कि पाइप लाइन लगाने बाबत राज्य सरकार के द्वारा जो आवश्यक नियम एव निर्देश है, प्रार्थिया उनका पूर्णतयः पालन करेगी।

यह कि प्रार्थिया का प्रार्थना–पत्र काबिल समाअत अदालतवाला है जो ल कोर्ट फीस पर पेश है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम बड़ोपल बारानी के खसरा नं. 1353 की कृषि भूमि में प्रार्थिया के लगे टयुबैल से खसरा नं. 1354, 1276, 1222 पर चल रहे मंजुरशुदा मार्ग से होते हुए अप्रार्थी नं. 1 व 2 की धारित खसरा नं. 2644/1392 में स्थित कृषि भूमि से प्रार्थिया की धारित खसरा नं. 1383 में स्थित कृषि भूमि तक नवीन पाइप लाइन लगाने की प्रार्थिया को स्वीकृति प्रदान की जावे तथा अप्रार्थीगण को आदेशित किया जावे कि मोके पर किसी भी प्रकार का व्यवधान पैदा न करे एवं प्रार्थिया के रकबे तक उस पाइप लाइन से जाने वाले पानी के प्रवाह को किसी भी रूप से प्रभावित नहीं करें। प्रार्थिया का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सरिस्ता रिपोर्ट बाद दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तामिल हेतु नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्वयम् हाजिर आये जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जवाब अप्रार्थीगण संख्या– 1 व 2 का निम्नप्रकार से है– कि प्रार्थिया के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या–1 में दर्ज कथन स्वीकार है। यह कि प्रार्थिया के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या–2 में दर्ज कथन राजस्व रिकार्ड से सबंधित है तथा स्वीकार है। यह कि प्रार्थिया के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या–3 में हम अप्रार्थीगण के स्क बाबत दर्ज कथन स्वीकार है। यह कि प्रार्थिया के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या–4 में दर्ज कथन सही एंव सत्य है तथा स्वीकार है। यह कि प्रार्थिया के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या–5 में दर्ज कथनों को न्यायालय के समक्ष साबित करने का भार प्रार्थिया पर है। यह कि प्रार्थिया के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या–6 में दर्ज कथन राजस्व रिकार्ड से सबंधित है एंव स्वीकार है। यह कि प्रार्थिया के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या–7 में दर्ज कथन स्वीकार है। यह कि प्रार्थिया के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या–8 में दर्ज कथन प्रार्थिया से सबंधित है। यह कि प्रार्थिया के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या–9 में दर्ज कथनों को साबित करने का दायित्व प्रार्थिया पर है।

अतः जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थिया के द्वारा प्रस्तुत धारा–251 श्कश राज0 काश्त०अधि० का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को किसी भी प्रकार का कोई उज्र व एतराज नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.11.11 15:13:08 IST
Reason: SelfAttested

रिपोर्ट तहसीलदार पीलीबंगा प्राप्त की गई मौका रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थिया नयी पाईप लाईन डालने बाबत स्वीकृति चाही जा रही है। राजस्व रिकॉर्ड आने वाली पाईप लाईन भूमि धारकों को पक्षकार बनाया है। प्रार्थिया मौके पर चल रहे रास्ते से पाईप लाईन ले जाना चाहती है। प्रार्थिया द्वारा चाही गयी पाईप लाईन के अलावा वर्तमान में उस भूमि में सिंचाई सुविधा नहीं है। प्रार्थिया द्वारा चाही गयी पाईप लाईन के अतिरिक्त प्रार्थिया ने कोई पाईप लाईन नहीं डाली हुई है। वर्तमान में उक्त भूमि के अन्तर्गत आने वाली भूमि में कोई निर्माण व बाग नहीं है। पाईप लाईन के प्रथम छोर की भूमि में संयुक्त खाते में नीतु

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

कुमारी पुत्री जगदीश के नाम 0.013 हैक्ट. व अन्तिम छोर की भूमि संयुक्त खाते में नीतु कुमारी पुत्री जगदीश के नाम 3.321 हैक्ट. भूमि दर्ज वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थिया सुनी गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में सहमति के आधार पर एवं तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है

—:आदेश:—

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्यों, दस्तावेजो व तहसीलदार पीलीबंगा का अवलोकन व अध्ययन किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट के आधार पर एवं प्रस्तुत दस्तावेजों शपथ पत्र व जवाब अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251—क स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः ग्राम बड़ोपल बारानी के खसरा नं. 1353 की कृषि भूमि में प्रार्थिया के लगे टयुबैल से खसरा नं. 1354, 1276, 1222 पर चल रहे मंजुरशुदा मार्ग से होते हुए अप्रार्थी नं. 1 व 2 की धारित खसरा नं. 2644/1392 में स्थित कृषि भूमि से प्रार्थिया की धारित खसरा नं. 1383 में स्थित कृषि भूमि तक पाईप लाईन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 30/10/24 सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.11.11 15:13:08 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा